

दिनांक

आज्ञा पत्र

कांशी

~~आज्ञा पत्र निर्णय~~

6.2.23

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आठ
न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर
आज्ञानसाग निनांक 28.2.23 को पेश हो

28.2.23

कोर्ट के सी. विस. 2- इले. व. 9318/11/11
द्वारा

28.2.23

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आठ
न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर
आज्ञानसाग निनांक 28.4.23 को पेश हो
29.3.23

29.3.23

पत्रावली पेश। अपीलान्त/रेसपोडेंट के अधिवक्ता ने
जाहिर किया है कि यह अपील धारा 212 में पारित आदेश
के विरुद्ध धारा 225 में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण
में मूलवाद का निराकरण न्यायालय द्वारा किया
जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अपील प्रभावहीन हो
चुकी है इसे खारिज किया जाये। चूंकी विचारण
न्यायालय में मूलवाद खारिज हो चुका है अतः यह
अपील प्रभावहीन हो चुकी है। फलस्वरूप अपील
अपीलान्त प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है।। निर्णय
सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम होकर बाव तरजीव तकमील दाखिल
दफ्तर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
र. र. (कैम्प इन्डियन)

